न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.2 / अपील / 2020 (GCMS No. 2020 / 00003)	06.01.2020	03.11.2020

प्रभूलाल आ0 जग्गाराम जाति मीणा,
निवासी विजयगढ, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग, उपखण्ड क्षेत्र हिण्डोली, जिला बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015

उपस्थितः—

1. अपीलांट की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा, एडवोकेट ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) ।

:: निर्णय ::

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2019 से व्यथित होकर अन्तर्गत 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मंगवाया गया।

जिला कलेक्टर;

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि ग्राम विजयगढ के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की नियंत्रित वस्तुओं के वितरण हेतु अपीलांट को प्राधिकार पत्र संख्या 325/1983 जारी किया हुआ था। अपीलांट राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशन सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण करता रहा है, लेकिन जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व सरपंच, विजयगढ की शिकायत पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 129/2018 दर्ज कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र अपने आदेश एवं निर्णय दिनांक 05.12.2019 से निरस्त करते हुये अपीलांट से राशन सामग्री 970 किलोग्राम गेहूँ, 106.5 लीटर केरोसीन तेल एवं 22.5 किलोग्राम चीनी की वर्तमान बाजारी कीमत से राशि की गणना कर, उक्त राशि निर्णय दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल करने के आदेश पारित कर दिये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को जारी नोटिस में मुख्य आरोप बताया गया कि ऑन लाईन रिकार्ड के आधार पर जांच करने पर ऑन लाईन ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध कराना दिखाया गया है, जबकि उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में सामग्री वितरण के इन्द्राज नहीं किये गये है। जबकि जांच अधिकारियों द्वारा इस निवेदन पर गौर नहीं किया गया कि ग्राम विजयगढ में पोस मशीन में टावर कम आने व अचानक टावर चले जाने के कारण पोस मशीन से पर्ची नहीं निकलती है, जबकि ऑन लाईन ट्रांजेक्शन पूर्ण हो जाता है। इसमें राशन डीलर अपीलांट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 2, 11, 15 एवं 17(सी) की कोई अवहेलना नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा पोस मशीन में टावर नहीं आने व खाद्यान्न वितरण में परेशानी आने के संबंध में ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला रसद अधिकारी, बून्दी को शिकायत पहुचाई गई, लेकिन उक्त शिकायत देने के बावजूद अपीलांट को पोस मशीन से राशन सामग्री वितरण में दोषी मानकर प्राधिकार पत्र निलम्बित करने में विधिक त्रुटि की है। इस संबंध में उपभोक्ताओं ने लिखित में जिला रसद अधिकारी बून्दी को राशन सामग्री प्राप्त करने व डीलर से कोई शिकायत नहीं होने के संबंध में प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी उन पर विश्वास नहीं करके उन्हें संदिग्ध मानने में भूल की है। अपीलांट द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं करने के बावजूद प्राधिकार पत्र निरस्ती बाबत आदेश पारित कर दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निलम्बन अवधि 90 दिन से अधिक हो जाने के कारण अपीलांट के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित रखते हुये जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र दिनांक 17.01.19 को बहाल कर

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्

दिया गया था, लेकिन उक्त बहाली के 8 दिन बाद दिनांक 25.1.19 को बिना किसी कारण उक्त लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया, बिना किसी कारण बताये की गई उक्त कार्यवाही नियम विरूद्ध है, जो खारिज योग्य है। राशन सामग्री वितरण बाबत राशन डीलर से उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए उक्त शिकायत की गई थी। प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड हिण्डोली द्वारा दिनांक 11.9.18 को प्रिन्टेड फार्म में जिन व्यक्तियों के बयान लिख गये है उनके द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कोई शिकायत पेश नहीं की गई थी, जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त बयानों का गलत निष्कर्ष निकाल कर अपीलाट को दंडित करने के उद्देश्य से लाईसेन्स निरस्ती का आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट सन् 1983 से राशन वितरण का कार्य कर उपभोक्ताओं की सेवा कर रहा है और गत 35 वर्षो से अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत पूर्व में नहीं है और पूर्व में न ही कभी कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में केवल पोश मशीन में टावर की कमी के कारण पर्ची नहीं निकलने और पर्ची नहीं निकलने से राशन कार्ड में एन्ट्री नहीं होने मात्र को आधार बनाकर प्राधिकार पत्र निलंबित करने जैसा कठोर आदेश पारित कर दिया है जबकि वर्तमान में मशीनीकरण तकनीकि वितरण प्रणाली की पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अभाव को मध्यनजर रखते हुये सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपीलांट को दोष मुक्त करना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं करके प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का आदेश पारित किया गया, जो खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.19 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का उचित मूल्य दुकान का लाईसेन्स बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रभूलाल मीणा आ. जग्गाराम मीणा, ग्राम पंचायत विजयगढ़ को प्राधिकार पत्र संख्या 325/1983 जारी किया हुआ था। उपभोक्ताओं एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, विजयगढ़ से प्राप्त शिकायती पत्रों में उपभोक्ताओं को ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में अंकित मात्रा से कम राशन सामग्री का वितरण करने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण उक्त प्राधिकार पत्र दिनांक 16.2.18 को निलंबित किया जाकर उक्त शिकायत के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड क्षेत्र, हिण्डोली से जांच करवाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ताओं के मजमेआम में बयान दर्ज किए गए, जिसमें राशनकार्डो पर उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री प्राप्त होना नहीं बताया गया। जांच रिपोर्ट में उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रभूलाल मीणा द्वारा फर्जी तरीके से ऑन लाईन ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर

के कुल 970 किलोग्राम गेहू, 106.5 लीटर केरोसीन एवं 22.5 किलोग्राम चीनी का उठाव किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11, 15 एवं 17(सी) का उल्लंघन किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अनियमितताओं बाबत उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। निलंबन अवधि 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही लंबित रखते हुये उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र सं. 325/1983 बहाल किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा अंकित टिप्पणी अनुसार आदेश दिनांक 25.01.2019 से उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र पुनः निलंबित किया गया। उचित मूल्य दुकानदार को पुनः नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु तलब किया जाने पर उचित मूल्य दुकानदार प्रभूलाल मीणा द्वारा दिनांक 09.04.2019 को जवाब प्रस्तुत किया, किन्तु वह मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में यह कहीं पर भी साबित नहीं कर पाया है कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता/ राशन सामग्री उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतें मनगढ़त या मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत की गई हो। प्रकरण में बाद जांच जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के आदेश पारित किये गये है। राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम (PDR ACT) के तहत उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रभूलाल मीणा द्वारा राशन सामग्री का दुरूपयोग/ कालाबाजारी की जाकर राशन सामग्री 970 कि.ग्रा. गेहूं, 106.5 लीटर केरोसीन एवं 22.5 कि.ग्रा. चीनी की वर्तमान बाजार कीमत से राशि की गणना कर उक्त राशि निर्णय दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज सहित श्री प्रभूलाल मीणा की चल–अचल सम्पत्ति से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये गये है, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर आया कि प्रभूलाल मीणा आ. जग्गराम मीणा निवासी ग्राम विजयगढ, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत विजयगढ के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 325/1983 जारी किया हुआ था। उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड क्षेत्र, हिण्डोली से जांच करवाई गई तथा प्राधिकार पत्र को दिनांक 16.02.2018 को निलंबित

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर

किया गया। दिनांक 06.09.2018 एवं दिनांक 11.09.2018 को जांच के दौरान उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत विजयगढ द्वारा फर्जी तरीके से ऑन लाइन ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं के कुल 970 किलोग्राम गेहूँ, 106.5 लीटर केरोसीन एवं 22.5 किलोग्राम चीनी का उठाव किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11, 15 एवं 17(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस संबंध में विभागीय प्रकरण संख्या 129/2018 दर्ज कर उचित मूल्य दुकानदार प्रभूलाल मीणा को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपने जवाब दिनांक 07.01.19 में अंकित किया कि उक्त सामग्री का वितरण उसके द्वारा नहीं किया जाकर उसके पुत्र द्वारा किया गया था तथा उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में सामग्री वितरण का इन्द्राज भूलवश नहीं हो पाया था और प्रार्थी को इसकी जानकारी होने पर अपनी भूल सुधार कर ली है।

जिला रसद अधिकाकारी बून्दी से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्राधिकार पत्र के निलंबन की अवधि 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही लंबित रखते हुये उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या बहाल किया गया। श्री प्रभूलाल मीणा द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट मुताबिक डीलर द्वारा गलत तथ्य पेश करने के आधार पर प्राधिकार पत्र पुनः दिनांक 25.01.2019 को निलंबित किया गया। बाद जांच प्रकरण में जिला रसद अधिकारी बून्दी दिनांक 05.12.19 को निर्णय पारित किया जाकर उक्त प्राधिकार पत्र सख्या 325/1983 को निरस्त कर दिया गया तथा सामग्री की कीमत श्री प्रभूलाल मीणा से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त शिकायतें आपसी रंजिशवश किया जाना बताया गया। उनके यहां इंटरनेट की सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने से तथा पोश मशीनों का प्रशिक्षण नहीं होने से तथा तकनीकी खराबी के कारण माल का उठाव पोश मशीनों में दर्शित नहीं हो सका, किन्तु उपभोक्ताओं को उनके हिस्से की राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी शिकायत नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामलें में की गई शिकायतें झूठी होना प्रमाणित नहीं हो पाया गया। अपितु विस्तृत जांच रिपोर्ट में फर्जी तरीके से ऑन लाइन ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं के कुल 970 किलोग्राम गेहूँ, 106.5 लीटर केरोसीन एवं 22.5 किलोग्राम चीनी का उठाव किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11, 15 एवं 17(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर;

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण में जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट के संबंध में अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से पेश नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा केवल यह कहना देना कि उक्त राशन सामग्री डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दी जाकर उसके पुत्र द्वारा वितरित की गई थी या उसकी दुकान पर इंटरनेट के पर्याप्त टॉवर नहीं आते है या अनेक उपभोक्ता उसके कार्य से संतुष्ट होने बाबत शपथ पत्र जिला रसद कार्यालय में पेश कर चुके है, सरपंच के विरूद्ध उसके अतिक्रमण की शिकायत अपीलांट द्वारा करने के कारण उसने झूठी शिकायतें दी है, इत्यादि तथ्य उचित मूल्य पर वितरित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये 970 किलोग्राम गेहूँ, 106.5 लीटर केरोसीन एवं 22.5 किलोग्राम चीनी के उठाव को मनगढंत या रंजिशवश की गई शिकायतें प्रमाणित नहीं करते है। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को असत्य प्रमाणित किया जा सके। जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा विभिन्न माध्यमों से कई बार प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच करवाई जाकर विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये बाद सुनवाई प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन होना पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी